>

Atitle: Need to enact stringent laws to tide over the menace of human trafficking in the country.

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश में घरेलू कार्य हेतु नौकर के रूप में बालिकाओं का शोषण हो रहा है। मुख्य रूप से झारखंड राज्य की कम उम्र की आदिवासी बालिकाओं एवं महिलाओं को घरेलू कार्य हेतु नौकरी कराने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी, शारीरिक एवं मानसिक यातनायें दिये जाने की घटनाएं पूरे देश भर में आम हो गई हैं। घरों में बंधक बनाना और तो और अनेकों घटनाएं ऐसी हैं जिनमें पीड़ितों को जान गंवानी पड़ती है। यह पूरा मामला मानव तस्करी का रूप लेता जा रहा है। देशभर में कई रैकेट पकड़े भी जा चुके हैं। परंतु कोई ठोस कार्यवाही न होने के कारण इस प्रकार की घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसमें बहुत हद तक राज्यों की पुलिस द्वारा की गई लापरवाहियों के कारण भी स्थिति गंभीर हुई हैं।

इसी संबंध में इंडिया टुडे पत्रिका (16 अक्टूबर 2013) में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मेरे संसदीय क्षेत्र का गुमला जिला सर्वाधिक प्रभावित है।

इस संबंध में मेरा आपसे आग्रह है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निवेदन है कि अभी तक ऐसे मामलों को देशभर में अविलंब निपटाया जाये इस पर कोई एकीकृत राष्ट्रीय नीति बनायी जाये जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं को न केवल रोका जा सके अपितु देश में बाल दासता एवं महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त किया जा सके।